

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज०)  
पीठासीन अधिकारी: श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 01/2023

बउनवान

श्रीमति गीताबाई आयु 45 साल पुत्री श्री रामचरण/कट्टो बाई पत्नि श्री रामबिलास जाति मीना निवासी कोटड़ी तुलसा तह० बारां जिला बारां राज० हाल निवासी खातियों का मोहल्ला चौथ का बरवाड़ा तह० व जिला सवाई माधोपुर (राज०) (अपीलांटा)

बनाम

1. नरेन्द्र पुत्र श्री रामचरण आयु 40 साल जाति मीना
2. रूपचन्द्र पुत्र श्री रामचरण आयु 28 साल जाति मीना
3. मांगीबाई बेवा श्री रामचरण आयु 60 साल जाति मीना निवासी कोटड़ी हाल निवासी मेन बाजार जैन मंदिर के सामने कन्सुवा कोटा तह० लाडपुरा जिला कोटा (राज०)
4. राज० सरकार जरिये तहसीलदार बारां

(रैंस्पोंडेंट्स)

अपील विरुद्ध इंतकाल नं. 805 आदेश दिनांक 29.03.2016  
अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट



उपस्थिति :- 1. श्री अशोक मीणा एडवोकेट (अपीलांटा)  
2. श्री महेश प्रकाश गौतम एडवोकेट (रैंस्पोंडेंट्स)

निर्णय दिनांक 18.04.2023

अपीलांटा की ओर से जर्जे अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी खसरा नंबर 791 रकबा 1.48 वाके ग्राम कोटड़ी तुलसा का इन्तकाल संख्या 805 दिनांक 29.03.2016 गलत रूप से रेस्पोंडेंट कम 1 ता 3 द्वारा फर्जी तैयार की गये वसीयत के आधार पर कोई गौर नहीं करते हुए खोला गया है जबकि अपीलांटा मृतक खातेदार रामचरण की विवाहिता प्रथम पत्नि कट्टो बाई की पुत्री वारिस संतान है। जिसका उक्त आराजीयात में हक व हिस्सा निहित है। जिसका जिक्र इन्तकाल खोलने हेतु प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र व वारिसान प्रमाण पत्र, वसीयत व अन्य दस्तावेज में नहीं किया गया है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खोला गया इन्तकाल निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांटा के पिता मृतक रामचरण द्वारा अपने जीवनकाल में उक्त आराजीयात को अपीलांटा को वर्ष 2010 में सम्भला दिया जिससे उक्त समय रेस्पोंडेंट कम 1 ता 3 भी सहमत थे किन्तु अपीलान्टा के पिता रामचरण की मृत्यु से पूर्व रेस्पोंडेंट कम 1 ता 3 के मन में बेईमानी आ जाने से उनके द्वारा अपीलान्टा के पिता की बीमारी व दिमागी हालत का फायदा उठाकर एक फर्जी वसीयत तैयार करवाकर अपने नाम रजिस्टर्ड करवा ली, जिसमें अपीलांटा का जायज पुत्री होने के बावजूद भी कोई जिक्र नहीं किया तथा उक्त वसीयत के आधार पर गलत वारिसान प्रमाण पत्र व शपथ पत्र पेश कर इन्तकाल दर्ज करवाया गया है जो विधि विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्टा कम 1 ता 3 द्वारा उक्त आराजी पर बैंक से ऋण लेकर आराजी को भारग्रस्त कर दिया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय तहसीलदार बारां द्वारा खोला गया इन्तकाल नं. 805 दिनांक 29.03.2016 निरस्त फरमाया जावे।

जिला कलक्टर  
बारां (राज०)

अपील पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स जयें अभिभाषक उपस्थित हुए तथा जवाब अपील इस आशय का पेश किया कि ग्राम कोटड़ी तुलसा में आराजी खसरा नंबर 791 रकबा 1.48 है। कृषि भूमि पर मृतक रामचरण खातेदार काबिज काश्त थे और उनका मकान पैमाइशी 162.6 वर्गमीटर वाके बाजार कंसुआ कोटा पर स्थित था जिसका आवंटन नगर विकास न्यास कोटा द्वारा दिनांक 20.05.1982 द्वारा व मालिक काबिज थे। रेस्पो0 के पिता/पति ने कभी भी उक्त भूमि अपीलांटा को संभालने के लिये नहीं दी थी और ना ही अपीलांटा का रेस्पो0 के यहां आना जाना था तथा उससे रेस्पो0 का कोई रिश्ता नहीं था। रेस्पो0 के पिता/पति रामचरण की मृत्यु दिनांक 23.07.2015 को हुई थी, अपनी मृत्यु से पूर्व अपने पूर्ण होश हवाश में अपील में वर्णित भूमि एवं मकान की पंजीकृत वसीयत दिनांक 02.07.2012 को रेस्पो0 क्रम 1 ता 3 के नाम संयुक्त रूप से की थी जिसमें अपीलांटा के नाम का कोई जिक्र नहीं था क्योंकि मृतक रामचरण एवं गीताबाई के मध्य संबंध मधुर नहीं थे। मृतक रामचरण वसीयतकर्ता ने अपीलांटा का जिक्र पंजीकृत वसीयत में नहीं किया। रेस्पो0 के मन में अपीलांटा के विरुद्ध कोई द्वेष भावना नहीं है और ना ही उसके साथ हमने बेईमानी की है। रेस्पो0 ने कोई फर्जी वसीयत तैयार नहीं की है बल्कि मृतक की स्वतंत्र वसीयत के आधार पर ही इन्तकाल नंबर 805 दिनांक 29.03.2016 खोला गया है। जो पूर्णतया सही व न्याय संगत है इसलिये अपील निरस्त किये जाने योग्य है। मृतक पिता/पति रेस्पो0 रामचरण की स्वअर्जित सम्पत्ति की वसीयत करने का उसे पूर्ण अधिकार था। कानूनन अपीलांटा का कोई अधिकार रामचरण की संपत्ति में नहीं बनता है ना ही पक्षकारान पर हिन्दू उत्तराधिकार कानून लागू होता है। वैधानिक रूप से की गई वसीयत को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है और वसीयत की वैधानिकता का प्रश्न राजस्व न्यायालय में विचारणीय नहीं है। उक्त वसीयत के संबंध में अपीलांटा द्वारा एक फौजदारी मुकदमा थाना कोतवाली बारां में दर्ज करवाया था जिसमें पुलिस ने बाद अनुसंधान नकारात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। अतः अपील निरस्त फरमावें।



*Handwritten signature*  
**जिला क्लर्क**  
**बारां (रा. 301)**

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया। दौराने बहस अभिभाषक अपीलांटा ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलांटा मृतक की जायज वारिस होने से विवादित आराजी में अपीलांटा का हक व हिस्सा निहित है परन्तु रेस्पोडेन्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में पूरे वारिस नहीं बताकर मृतक खातेदार रामचरण से बीमार अवस्था में रजिस्टर्ड वसीयत करवाकर उसके आधार पर इन्तकाल खुलवा लिया तथा अधीनस्थ न्यायालय भी वसीयत की प्रमाणिकता की जांच नहीं कर अपीलाधीन इंतकाल खोला गया है जो खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन इंतकाल निरस्त फरमावें।

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने जवाब अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वैधानिक रूप से की गई वसीयत को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है और वसीयत की वैधानिकता का प्रश्न राजस्व न्यायालय में विचारणीय नहीं है। उक्त वसीयत के संबंध में अपीलांटा द्वारा एक फौजदारी मुकदमा थाना कोतवाली बारां में दर्ज करवाया था जिसमें पुलिस ने बाद अनुसंधान नकारात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। वसीयत रजिस्टर्ड होने से वारिसान की जांच आवश्यक नहीं है। कानूनन अपीलांटा का कोई अधिकार रामचरण की संपत्ति में नहीं बनता है ना ही पक्षकारान पर हिन्दू उत्तराधिकार कानून लागू होता है। अतः अपील निरस्त फरमावें।

हमने बहस उभय पक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचारण किया गया। न्याय हित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है।

अपीलांटा द्वारा प्रस्तुत अपील में नामान्तरकरण फर्जी वसीयत के आधार पर खोला जाना बताया गया है जबकि वसीयत रजिस्टर्ड है। तथा रजिस्टर्ड वसीयत को निरस्त करने के संबंध में अपीलांटा द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। चूंकि नामान्तरकरण रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर दर्ज किया गया है जिसमें कोई त्रुटि होना नहीं पायी जाती है तथा अपील अपीलांटा सारहीन होना पाई जाती है।

अतः अपील अपीलांटा सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 18.04.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(नरेन्द्र गुप्ता)  
जिला कलेक्टर  
बारा (राज०)